

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, श्रीगंगानगर
(पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत 2018/कैम्प कोर्ट) कैम्प-चूनावठ

प्रकरण संख्या 73/2018

दिनांक 6-6-2018

आदेश

प्रार्थी के जमाबन्दी खाता में दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चूनावठ व भू.अ.नि. चूनावठ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार श्रीगंगानगर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 34 की-पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2066-2069 में खाता संख्या 16/17 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र० सं०	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
①	<u>34 की-पी.</u>	<u>16/17</u>	<u>साहिबजीव सिंह, छत्र प्रदीप सिंह, सा-देह-रक्तकर</u>	<u>साहिबजीव सिंह, छत्र प्रदीप सिंह, सा-देह-रक्तकर</u>

Ravi
6/6/18
(श्रीमती रीना चौधरी)

(यह आदेश पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर (फास्ट ट्रैक) द्वारा जारी किया गया है।)

दिनांक:- 7-6-2018

क्रमांक: रा.लो.अ./कैम्प/2018/ 1359-10

- प्रतिलिपि:-
1. तहसीलदार/नायब तहसीलदार श्रीगंगानगर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
 2. प्रार्थी श्री साहिबजीव सिंह/छत्र प्रदीप सिंह को सूचनार्थ।

Ravi
6/6/18
पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर (फास्ट ट्रैक)